राष्ट्रीय आवास बैंक

संपदा विभाग

नई दिल्ली

नई दिल्ली में बैंक के अधिकारियों के रिहायशी क्वार्टरों में विद्युत अधिष्ठापन एवं वायरिंग का परीक्षण करने हेतु निविदा

भाग I

निविदाकर्ता का नाम: ____________________________________

पता: ____________________________________

____

बोली पूर्व बैठक तिथि	**: 11.00 प्रात: मई २६, २०२१**
प्रस्तुत करने की तिथि	**: दिनांक 01 जून, 2021 को 18.00 बजे निविदा**
के भाग I के खुलने की तिथि	**: दिनांक 02 जून, 2021 को 15.00 बजे**
स्थल	: परिसर विभाग **राष्ट्रीय आवास बैंक नई दिल्ली**

विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	भाग I – निविदा प्रपत्र	3
2.	भाग II – करार की शर्तें	5
3.	भाग III- वाणिज्यिक शर्तें	8
4.	भाग IV- तकनीकी विनिर्देश	11

उप महाप्रबंधक
संपदा विभाग,
राष्ट्रीय आवास बैंक, स्थान_____ दिनांक_
नई दिल्ली

भाग I

निविदा प्रपत्र

महोदय,

हमने ज्ञापन में विनिर्दिष्ट नई दिल्ली में बैंक के अधिकारियों के रिहायशी क्वार्टरों में विद्युत अधिष्ठापन एवं वायरिंग का परीक्षण करने से संबंधित विशिष्टताओं, डिज़ाइनों और अनुसूची की सावधानीपूर्वक जांच की है तथा इसके पश्चात उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट अनुसार नई दिल्ली में बैंक के अधिकारियों के रिहायशी क्वार्टरों में विद्युत अधिष्ठापन एवं वायरिंग के परीक्षण स्थल का दौरा किया और इसकी जांच की है एवं निविदा को प्रभावित करने से संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर ली है। हम एतदद्वारा मात्राओं की संलग्न अनुसूची में उल्लिखित दरों पर उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट अनुसार नई दिल्ली में बैंक के अधिकारियों के रिहायशी क्वार्टरों में विद्युत अधिष्ठापन एवं वायरिंग का परीक्षण आयोजित करना प्रस्तावित करते हैं और जो करार की शर्तों में संदर्भित लिखित में विनिर्देशों, डिजाइन और निर्देशों, निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देशों और विशेष शर्तों, सभी संबंधों में प्रदान इस प्रकार कि उपकरणों के साथ एवं मात्राओं की अनुसूची, डाटाशीट और विनिर्देशों हेतु संदर्भित शर्तों जो भी लागू हो, के अनुसार होनी चाहिये।

ज्ञापन

(क)	कार्य विवरण	नई दिल्ली में बैंक के अधिकारियों के रिहायशी क्वार्टरों में विद्युत अधिष्ठापन एवं वायरिंग का परीक्षण संचालित करना
(ख)	अनुमानित लागत	1.50 लाख रु.
(ग)	भुगतान की शर्तें	वाणिज्यिक शर्तों के खंड 12 के अनुसार
(घ)	बयाना जमा-राशि	3000 रु.

2. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि निविदा के भाग I को खोलने की तिथि से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए हमारी निविदा वैध रहेगी तथा वैधता की यह अवधि ऐसी अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है, जो बैंक और हमारे बीच लिखित में पारस्परिक रूप से सम्मत हो।

3. क्या इस निविदा को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, मैं एतदद्वारा निविदा के सभी नियमों और शर्तों को मानने और इसका पालन करने और उसके बाद, डिफॉल्ट में आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या असाइनी, नामितियों को राशि का भुगतान करने एवं जब्त करने हेतु सहमत हूँ/ जैसा कि अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित है।

4. मैं समझता हूँ कि आप बिना कोई कारण बताये पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी या सभी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हमने राष्ट्रीय आवास बैंक में बयाना राशि के रूप में **3000/- रु.** जमा

किया है, जिसमें कोई ब्याज शामिल नहीं है। क्या हम निविदा निष्पादित करने हेतु असफल हुए है, हम एतदद्वारा इस बात से सहमत हैं कि इस राशि को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

5. निविदा को निम्नानुसार अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में दो भागों में प्रस्तुत किया गया है:

- भाग I में ईएमडी एवं सभी वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें और तकनीकी विवरण होंगे।
- भाग II में बैंक के प्रोफार्मा में मुहरबंद कवर में मूल्य बोली होगी।

2021 के इस दिन को दिनांकित

मैसर्स ______________________________ की ओर से एवं हेतु

____

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

नाम ______________________

पदनाम ______________________

स्थान ______________________

दिनांक ______________________

(उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ता के पॉवर ऑफ अटोर्नी की प्रमाणित असल प्रति संलग्न की जानी चाहिए।)

साक्ष्य

(1) नाम, पता एवं तिथि के साथ हस्ताक्षर ______________________

____

____

(2) नाम, पता एवं तिथि के साथ हस्ताक्षर ______________________

____

____

भाग II

करार की शर्तें

करार की शर्तें राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली में जिसका केंद्रीय कार्यालय मुम्बई (तत्पश्चात नियोक्ता कहा जाता है) में है एक भाग में और___ अन्य भाग में (तत्पश्चात सेवा प्रदाता कहा जाता है)___के बीच _______के दिन तैयार की गयीं हैं।

जबकि नियोक्ता **नई दिल्ली में बैंक के अधिकारियों के रिहायशी क्वार्टरों में विद्युत अधिष्ठापन एवं वायरिंग का परीक्षण करने** हेतु इच्छुक है और इसने किये जाने वाले कार्य को प्रदर्शित करने वाली ड्राइंग और विशिष्टताओं का वर्णन किया है और जबकि उक्त विशिष्टताओं और मात्रा अनुसूची पर पार्टियों की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

और जहाँ सेवा प्रदाता ने यहाँ उल्लिखित शर्तों पर कार करने हेतु अपनी सहमति प्रदान कर दी है एवं उन शर्तों पर भी जो कि विशेष शर्तों में उल्लिखित हैं तथा मात्राओं की अनुसूची एवं अंतिम रूप से परिवर्तित एवं स्वीकृत निविदा की शर्तें जो कि दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार हैं (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से "उक्त शर्तों" के रूप में संदर्भित किया जाता है) उक्त विवरणों और/या वर्णित विनिर्देशों पर दिखाए गए कार्यों और निर्धारित की गयी दर पर मात्राओं की अनुसूची में शामिल, ऐसे जोड़ की गणना जो कि प्राप्त किया गया हो अथवा ऐसा जोड़ जो की इस सेवा शर्त के अंतर्गत देय हो (इसके बाद "उक्त अनुबंध राशि" के रूप में संदर्भित)।

अब इस बात पर निम्न तरह से सहमति है-

2.1 उक्त शर्तों में निर्धारित समय पर और निर्धारित तरीके से भुगतान की जाने वाली उक्त अनुबंध राशि पर विचार करने पर, सेवा प्रदाता उक्त शर्तों के अधीन उक्त ड्राइंग में प्रदर्शित कार्यों को निष्पादित और पूरा करेंगे और उक्त विशिष्टताओं और मात्राओं की अनुसूची में इसे वर्णित करेंगे।

2.2 नियोक्ता सेवा प्रदाता को उक्त अनुबंध राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उस समय और उक्त शर्तों में निर्दिष्ट तरीके से देय होगी।

2.3 उक्त शर्तों में "वास्तुकार" शब्द का अर्थ होगा सीजीएम-प्रभारी, परिसर विभाग, केंद्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा इस निविदा के उद्देश्य हेतु किसी भी वजह से उसके वास्तुकार के पद से हटने पर कोई भी व्यक्ति और व्यक्तियों को नियोक्ता द्वारा इस उद्देश्य हेतु नामित किया जाता है, ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके प्रति सेवा प्रदाता ने अपनी अस्वीकृति दर्ज की हो तथा यह अस्वीकृति नियोक्ता द्वारा सन्तोषजनक पायी जाती है इस अनुबंध के तहत कोई भी व्यक्ति या शायद बाद में नियुक्त किए गए व्यक्ति, पिछले किसी भी निर्णय के लिए वास्तुकार द्वारा लिखित रूप में दिए गए या व्यक्त किए गए किसी भी पिछले फैसले या अनुमोदन या अवज्ञा को अस्वीकार या रद्द करने के हकदार नहीं होंगे।

2.4 उक्त शर्तों और अनुलग्नकों को इस करार के भाग के रूप में माना जाएगा और इन पक्षों को इसका पालन करना होगा, उक्त शर्तों को मानना होगा और इसमें निहित उक्त शर्तों में अपनी ओर से करार का निष्पादन करना होगा।

2.5 यहां दिए गए चित्र, करार और दस्तावेज इस अनुबंध का आधार बनेंगे।

2.6 यह अनुबंध निविदा दस्तावेजों के भाग I और भाग II में मात्रा और विनिर्देशों के बिल में वर्णित एकमुश्त अनुबंध माना जाता है।

2.7 सेवा प्रदाता, उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से नई दिल्ली में बैंक के अधिकारियों के रिहायशी क्वार्टरों में विद्युत अधिष्ठापन एवं वायरिंग का परीक्षण करने से संबंधित सभी कार्यों को करने के लिए हर उचित सुविधा का वहन करेगा और कार्य पूरा होने के पश्चात टूटी हुई दीवारों, फर्शों को ठीक करेगा।

2.8 नियोक्ता कार्य के किसी भी मदों को जोड़ने या उसे हटाकर कार्य की प्रकृति एवं ड्राइंग या इस अनुबंध के प्रतिकूल प्रभाव के बिना अनुबंध के चलन के दौरान किसी भी समय किये गये कार्य के आंशिक भाग को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.9 समय को इस अनुबंध का सार माना जाएगा और सेवा प्रदाता एतदद्वारा कार्य आदेश/स्वीकृति पत्र जारी करने के दिन से कार्य शुरू करने के लिए सहमत होगा जैसा कि उक्त शर्तों में प्रदान किया गया है और समय के विस्तार के प्रावधानों के बावजूद निविदा विषय की स्वीकृति सूचित करने वाले पत्र की तारीख के बाद दसवें दिन से पूरे कार्य को छह सप्ताह के भीतर पूरा करेगा।

2.10 इस अनुबंध के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली में किए जाएंगे।

2.11 इस करार से जुड़े या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले विवादों का निवारण नई दिल्ली में किया ना जाएगा और नई दिल्ली में केवल न्यायालयों को ही इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

2.12 इस अनुबंध के कई भागों को सेवा प्रदाता द्वारा अवलोकन किया गया है और इसे पूरी तरह से सेवा प्रदाता द्वारा समझा गया है।

यदि सेवा प्रदाता साझेदार या व्यक्ति है	कर्मचारी और सेवा प्रदाता ने इन प्रस्तुतों के लिए समझौता किया है और दो डुप्लिकेट में पूर्व में लिखे गए दिन एवं वर्ष को उद्धृत किया गया हैं।
यदि सेवा प्रदाता कंपनी है	कर्मचारी के रूप में, नियोक्ता ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन प्रस्तुतियों के लिए समझौते किए हैं और सेवा प्रदाता ने इसकी सामान्य मुहर यहां चिपका दी है और उक्त दो डुप्लिकेट को उसकी ओर से निष्पादित किया जा सकता है, जिस दिन और वर्ष पहले यहां लिखा गया है।

हस्ताक्षर खंड:

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा हस्ताक्षरित एवं वितरित ____________________________

(नाम और पदनाम)

की उपस्थिति में-

साक्ष्य–

1. ____________________________

पता____________________________

____

2. ____________________________

पता____________________________

यदि पक्ष एक साझेदार फर्म या व्यक्ति है

द्वारा हस्ताक्षरित और वितरितकी उपस्थिति में-

साक्ष्य–

1. ______________________________

पता______________________________

____

2. ______________________________

पता______________________________

____

______की सामान्य सील पर ------------------- को आयोजित बैठक में इसके निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुपालन हेतु पुष्टि की गई थी

की उपस्थिति में-

साक्ष्य –

1. ______________________________

2. ______________________________

यदि सेवा प्रदाता सामान्य मुहर के अंतर्गत हस्ताक्षर करता है,
तो हस्ताक्षर खंड करार की शर्तों में मुहर खंड के साथ
मेल खाना चाहिये। निदेशक जिन्होंने

1.__________________

2. __________________

की उपस्थिति में टोकन के रूप में इन उपस्थितियों पर हस्ताक्षर किये है-
यदि संविदा पर पावर ऑफ अटोर्नी द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं, चाहे वे कंपनी या व्यक्ति हो।

श्री ____________________के द्वारा हस्ताक्षरित एवं वितरित एवं
विधिवत गठित

भाग III

वाणिज्यिक शर्तें

1. नई दिल्ली में बैंक के अधिकारी के रिहायशी क्वार्टरों के विद्युत अधिष्ठापन और वायरिंग के परीक्षण के लिए विद्युत सुरक्षा सेवा प्रदाता से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं।

2. पात्रता:

फर्म को "विद्युत सुरक्षा लेखा परीक्षा" हेतु आरबीआई दिल्ली के पैनल में शामिल होना चाहिए और पैनल को बोली के अंतिम तिथि यानी प्रस्तुति की अंतिम तिथि के अनुसार वैध होना चाहिए। वेंडर को दावे के समर्थन में वैध और प्रमाणित पैनल पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। वेबसाइट से डाउनलोड किए गए निविदा दस्तावेजों के मामले में, पात्रता मानदंड से संबंधित दस्तावेजों को जमा करना होगा।

3. **बयाना जमा राशि (ईएमडी):** बयाना जमा राशि का भुगतान नई दिल्ली में देय राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में या रा.आ.बैंक नई दिल्ली को एनईएफटी के माध्यम से निविदाकर्ता द्वारा किया जाएगा।
खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

क्र. सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर 5ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र , लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4	लाभार्थी के बैंक की शाखा	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कॉम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली- 110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं.	52142903844
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBHY0020511
8	एमआईसीआर सं.	110004005

यथोचित प्रारूप तथा प्रणाली में ईएमडी के बिना प्राप्त कोई बोली अनुत्तरदायी और अस्वीकार की जाएगी।
निश्चित करार में या इसमें प्रदान की गई या अन्यथा जमा की गई, सभी असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी राशि कार्य / अनुबंध सौंपने के बाद 15 दिनों या उससे पहले निविदा प्रक्रिया के पूरा होने पर पहले वापस कर दी जाएगी। निश्चित करार में या इसमें प्रदान की गई या अन्यथा जमा की गई, सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि कार्य के संतोषजनक निष्पादन के बाद वापस कर दी जाएगी।

4. **बोली पूर्व बैठक:** निविदा के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु/संदेह को स्पष्ट करने के लिए संपदा विभाग, रा.आ.बैंक नई दिल्ली में 26.05.2021 को 1100 बजे इच्छुक निविदाकर्ताओं की पूर्व-निविदा ब्रीफिंग बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक हेतु कोई अलग से संचार प्रेषित नहीं किया जाएगा। सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को उपस्थित रहने और निविदा दस्तावेजों का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। वे किसी भी बिंदु/शर्तों/विशिष्टताओं को इंगित कर सकते हैं जिन्हें बैठक के दौरान स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सभी निविदाकर्ताओं को उचित रूप से सलाह दी जाएगी। निविदाकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बैठक के दौरान सभी मुद्दों को स्पष्ट कर दें जिससे वे बैंक की निविदा शर्तों/विशिष्टताओं को अपनी तकनीकी (भाग I) और मूल्य बोलियों (भाग II) में अंतर से बच सकते हैं। बोलीदाताओं को साइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

5. उपर्युक्त कार्य के लिए निविदाएं और ईएमडी उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली को संबोधित अलग-अलग मुहरबंद कवरों में प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि 01.06.2021 को 18.00 बजे से पहले उन तक पहुंच सकें। लिफाफों पर **"नई दिल्ली में बैंक के अधिकारियों के रिहायशी क्वार्टरों में विद्युत अधिष्ठापन एवं वायरिंग का परीक्षण करने हेतु निविदा (भाग- I / भाग- II)"** लिखा हो। निविदाओं का भाग- I 02.06.2021, 15.00 बजे खोला जाएगा।

6. यदि सभी निविदाकारों को सूचना के तहत बाद की तारीख में कोई अंतर नहीं देखा जाता है तो निविदाओं के भाग- II को उसी दिन खोला जाएगा। निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल बैंक द्वारा दिए गए प्रपत्रों का उपयोग करें और किसी अन्य प्रपत्रों का उपयोग न करें। अपूर्ण निविदा अस्वीकृत की जायेगी। निविदा भाग- II में कोई नियम और शर्तें या कोई अन्य जानकारी/संलग्नक शामिल नहीं किया जाएगा।

7. निविदाएं भाग- I खोलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध होंगी और इस अवधि के लिए विस्तारित की जाएंगी, जो कि पारस्परिक रूप से सम्मत हो सकती हैं।

8. मूल्य: कार्य हेतु उद्धृत मूल्य कार्य पूरा होने तक स्थिर रहेगा और इसमें उपकरणों और प्रतिनियुत व्यक्तियों के परिवहन/आवास आदि के लागू लागत अनुसार जीएसटी आदि शामिल होंगे।

9. यह अनुबंध नई दिल्ली में बैंक के अधिकारियों के रिहायशी क्वार्टरों में विद्युत अधिष्ठापन एवं वायरिंग का परीक्षण करने के संबंध में एक निश्चित एकमुश्त अनुबंध है, जिसका भुगतान उक्त शर्तों में प्रदान एवं दरों की अनुसूची में निहित दरों के अनुसार किया जाना है।

10. नियोक्ता इस अनुबंध में किसी भी प्रकार के पक्षपात के बिना किसी भी मदों को जोड़कर या हटाकर निष्पादित की जाने वाली मदों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालाँकि, जब तक बैंक के इंजीनियर द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित नहीं किया जाता है, तब तक सेवा प्रदाता निविदा मात्रा से अधिक किए गए कार्यों के लिए किसी भी भुगतान का हकदार नहीं होगा।

11. **पूर्णता की अवधि:** संपूर्ण कार्य को पूरा करने का समय निविदा की स्वीकृति सूचित करने वाले पत्र की तारीख के बाद दसवें दिन से छह सप्ताह है। साइट सर्वेक्षण, डेटा संग्रह/माप और मसौदा रिपोर्ट 30 दिनों में पूरी की जाएगी और अंतिम रिपोर्ट 12 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

12. भुगतान की शर्तें

भुगतान की निम्नलिखित शर्तें कार्य हेतु लागू होंगी:

i) नई दिल्ली में बैंक के अधिकारियों के रिहायशी क्वार्टरों के विद्युत अधिष्ठापन और वायरिंग के परीक्षण के पूरा होने और बैंक को मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उद्धृत राशि का 70 प्रतिशत।

ii) बैंक द्वारा सुझाए गए सुधारों/निष्कर्षों को शामिल करने के बाद बैंक को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उद्धृत राशि का शेष 30 प्रतिशत।

कार्य के लिए सभी भुगतान सांविधिक कटौती के बाद किए जाएंगे।

13. राष्ट्रीय आवास बैंक स्वयं सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और ऐसा करने के लिए बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को आंशिक रूप से या पूर्ण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

14. उनकी निविदा की स्वीकृति के नियोक्ता से सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा और सफल निविदाकर्ता चौदह दिनों के भीतर औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा, सफल निविदाकर्ता मसौदा करार और शर्तों की अनुसूची के अनुसार करार पर हस्ताक्षर करेगा लेकिन निविदा पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा लिखित स्वीकृति रा.आ.बैंक और उस व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी, ताकि इस तरह के करार हो या बाद में निष्पादित न हों। करार के निष्पादन के लिए आवश्यक स्टाम्प पेपर की लागत सफल निविदाकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

15. यदि सेवा प्रदाता द्वारा एक वैयक्तिक के रूप में या एक फर्म के रूप में दिवालिया की स्थिति में पहुंचने का कोई कार्य किया जाता है या या उसे दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के कारण कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया है या कंपनी द्वारा एक प्रभावी संकल्प जारी कर इसके कार्यों को बंद करने हेतु संकल्प पारित किया गया हो या माननीय न्यायलय एवं दिवालिया होने की स्थिति या कारबार बंद करने की स्थिति में नियुक्त आधिकारिक असाइनी या लिक्विडेटर के पर्यवेक्षण के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, उक्त आदेशों के उसको प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर बैंक के अभियंता को संतोषजनक कारन प्रस्तुत करना होगा कि वह यह कार्य पूर्ण कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में यदि बैंक के अभियंता द्वारा आवश्यक समझा जाए तो प्रतिभूति भी जमा कर सकता हो या बैंक का अभियंता सेवा प्रदाता के विषय में बैंक को लिखित रूप में यह आश्वासन प्रदान करे कि उसके द्वारा यह कार्य किया जा सकता है।

16. बीमा पॉलिसी: सेवा प्रदाता को संयुक्त नाम से साइट पर तैनात सभी कामगारों के लिए वैध कामगार क्षतिपूर्ति नीति प्राप्त होगी, पहला राष्ट्रीय आवास बैंक और दूसरा सेवा प्रदाता फर्म का नाम होगा।

17. सेवा प्रदाता परीक्षण शुरू करने से पहले तैनात कर्मियों की योग्यता का विवरण प्रस्तुत करेगा।

दिनांक: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान: नाम एवं पता

ग्राहकों की सूची

(जिनके लिए पिछले 5 वर्षों में
समान कार्यक्षेत्र पूरा किया गया
है)

क्र. सं.	विवरण	ग्राहक का नाम (1)	ग्राहक का नाम (2)	ग्राहक का नाम (3)
1	पता, फैक्स और टेलीफोन नंबर			
2	स्थापना का नाम, स्थान और पता			
3	काम का संक्षिप्त विवरण			
4	अनुबंध सौंपने की तारीख			
5	कार्य पूरा होने की तारीख			
6	क्या स्थापना केंद्रीय एयर कंडीशनिंग प्रणाली के साथ है			

भाग IV

नियम एवं शर्तें और कार्यक्षेत्र

परिचय

राष्ट्रीय आवास बैंक नई दिल्ली में ब्लॉक के अधिकारियों के रिहायशी क्वार्टर/ सामान्य क्षेत्र में प्रदान विद्युत अधिष्ठापन और वायरिंग का परीक्षण करने के इच्छुक हैं। यह अधिकारियों के रिहायशी क्वार्टर, बिजली आपूर्ति अधिकारियों से बिजली की आपूर्ति प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त, पॉवर आउटेज के दौरान महत्वपूर्ण एप्लिकेशन को पूरा करने के लिए उपयुक्त क्षमताओं का इन्वर्टर सेट संस्थापित किया गया है। फ्लैट का विवरण निम्नानुसार है:

स्थान	फ्लैटों की संख्या	बेसमेंट/गैराज
सी 33 , जंगपुरा	03	01
सी 34 जंगपुरा	03	01
सी 35 जंगपुरा	03	01
सी 36 जंगपुरा	03	01
सी 37 जंगपुरा	03	01
सी 38 जंगपुरा	03	01
सी 39/40 जंगपुरा	03	02
सी 20 जंगपुरा	02 डुप्लेक्स फ्लैट	00
सी 21 जंगपुरा	02 डुप्लेक्स फ्लैट	00
सी 22 जंगपुरा	02 डुप्लेक्स फ्लैट	00
सी 23 जंगपुरा	02 डुप्लेक्स फ्लैट	00
डी 6, वसंत कुंज (किसी भी सामन्य क्षेत्र के बिना)	20 फ्लैट	हाँ, 18 गेराज

उद्देश्य

- विद्युत सुरक्षा को संचालन करने का उद्देश्य विद्यमान विद्युत अधिष्ठापन की स्थिति की समीक्षा करना और विद्युत/आग लगने के खतरों को खत्म करने/कम करने और कर्मियों की सुरक्षा में सुधार के लिए प्रणाली को और मजबूत बनाने के उपायों की अनुशंसा करना है। लेखापरीक्षा मुख्य रूप से निम्न पर ध्यान केंद्रित करेगी:
- संभावित विद्युत/आग लगने के खतरों की पहचान करना।
- सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करके कर्मचारी मनोबल को बढ़ावा देना।
- विद्युत अधिष्ठापन के परिचालन और अनुरक्षण को सुचारू रखना।
- संपत्तियों, मानव जीवन और महंगे उपकरणों के नुकसान से बचना।
- प्रासंगिक संहिता और अभ्यास, सांविधिक नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- विद्युत अधिष्ठापन में सुरक्षित कार्य करने की प्रक्रिया की स्थापना करना।

क. सांविधिक आवश्यकताएं:

भवन का विद्युत सुरक्षा परीक्षण (ईएसए) और विद्युत प्रतिष्ठान को दुर्घटनाओं को रोकने या कम करने के लिए संभावित विद्युत खतरों की पहचान करने हेतु लागू भारतीय मानक, भारतीय विद्युत नियम (आईई), सीपीडब्ल्यूडी अनुरक्षण नियम और अन्य प्रासंगिक कोड के संदर्भ में किया जाएगा। निरीक्षण और डेटा संग्रह के लिए फील्ड विजिट के दौरान कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके परीक्षण किया जाना चाहिए। परीक्षण के दौरान, परीक्षण टीम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईई अधिनियम के अनुसार आईई नियमों के अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त, आईई अधिनियम के अनुच्छेद 29 में निहित प्रावधानों को विशेष रूप से सूचीबद्ध किया गया है:

अनुच्छेद 29:- विद्युत आपूर्ति लाइनों और उपकरणों का निर्माण, अधिष्ठापन, संरक्षण, परिचालन और अनुरक्षण-

(1) सभी विद्युत आपूर्ति लाइनें और उपकरण पॉवर, इन्सुलेशन और अनुमानित फॉल्ट वर्तमान और पर्याप्त यांत्रिक शक्ति के लिए पर्याप्त रेटिंग के होंगे, कर्तव्य हेतु जो उन्हें अधिष्ठापन की पर्यावरणीय परिस्थितियों में निष्पादन करने के लिए अपेक्षित हो सकता है, और उन्हें निर्माण, संस्थापित, संरक्षित किया जाएगा ताकि 2 [मानव, पशु और संपत्ति] की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(2) जैसा कि इन नियमों में प्रदान किया गया है, 3 [भारतीय मानक ब्यूरो] 4[राष्ट्रीय विद्युत संहिता सहित] के पालन की प्रासंगिक संहिता यदि किसी को इस नियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और किसी भी असंगतता की स्थिति में पालन किया जा सकता है, इन नियमों के प्रावधान लागू होगा।

(3) प्रयुक्त सामग्री और उपकरण 3 [भारतीय मानक ब्यूरो] के प्रासंगिक विनिर्देशों के अनुरूप होंगे, जहां इस तरह के विनिर्देश पहले से ही निर्धारित किए गए हैं।

1. जीएसआर 358 द्वारा सब्स., दिनांकित 30.4.1987, 9.5.1987 से प्रभावी
2. जीएसआर 45 द्वारा सब्स., दिनांकित 1.1.1993, 23.1.1993 से प्रभावी
3. जीआर 466 द्वारा सब्स., दिनांकित 18.7.1991, 17.8.1991 से प्रभावी
4. जीएसआर 358 द्वारा इंस., दिनांकित 30.4.1987, 5.9.1987 से प्रभावी

प्रासंगिक कोड ऑफ प्रैक्टिस:

प्रैक्टिस के कुछ प्रासंगिक कोड नीचे दिए गए हैं:

क. भारतीय विद्युत नियम, 1956 (अब तक संशोधित)
ख. आईएस: 5216 (भाग- I) विद्युत कार्य में सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं पर अनुशंसाएं
ग. आईएस: 5216 (भाग -II) विद्युत कार्य में सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं पर अनुशंसाएं
घ. आईएस: 1646-1961 अग्नि सुरक्षा के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस (सामान्य): विद्युत कार्य
ङ. आईएस: 4770: 1968 – विद्युत प्रयोजन के लिए रबर के दस्ताने हेतु विनिर्देशों
च. आईएस: 2309 लाइटिंग के लिये इमारतों और संबद्ध संरचनाओं का संरक्षण
छ. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपायों के संबंध में 20 सितंबर 2010 को जारी राजपत्र अधिसूचना
ज. राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 (अब तक संशोधित)

झ. लागू किसी अन्य स्थानीय दिशानिर्देश/कानून

ख. बैंक के अधिकारियों के रिहायशी क्वार्टरों में विद्युत अधिष्ठापन का विवरण:

इलेक्ट्रिकल पैनल, डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट, डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट, इलेक्ट्रिकल वायरिंग जिसमें पॉवर, लाइटिंग और फेन सर्किट शामिल हैं, जिसमें अर्थिंग, बिल्डिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग, विभिन्न प्रकार के मोटर, इन्वर्टर सेट, किचन इक्विपमेंट, वाटर पंप, और बिजली आपूर्ति से जुड़े किसी भी अन्य उपकरण और गैजेट्स में आग लगने का खतरा होता है।

ग. कार्य क्षेत्र

नई दिल्ली में बैंक के अधिकारियों के रिहायशी क्वार्टरों में विद्युत अधिष्ठापन और वायरिंग के परीक्षण के लिए कार्य क्षेत्र शामिल होगा, लेकिन निम्न हेतु सीमित नहीं:

1. भवन में सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं, बिजली नियमों आदि के संबंध में विद्युत खतरों को नियंत्रित करने के लिए **मौजूदा सुरक्षा उपायों, प्रक्रियाओं और प्रणाली का अध्ययन** और किसी भी अंतर के मामले में आगे के उपायों के लिए सुझाव देना।
2. मुख्य पैनल से फ़्लोर पैनल, कवरिंग ट्रांसफार्मर, मुख्य एलटी पैनल, कैपेसिटर पैनल, डीजी सेट, यूपीएस पैनल आदि तक **विद्युत अधिष्ठापन का सिंगल लाइन डायग्राम (एसएलडी) तैयार करना।** एसएलडी को उपकरण, फीडर (जब भी संभव हो) आदि की रेटिंग को इंगित करना चाहिए।
3. कार्यालय परिसर में सभी सुलभ और कामकाजी पृथ्वी पिट्स को शामिल करते हुए **अर्थिंग लेआउट तैयार करना।** प्रत्येक पृथ्वी पिट को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जानी चाहिए और निर्माण योजना पर चिह्नित किया जाना चाहिए।

4. **पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण**
   - पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण पृथ्वी के सभी पिट्स पर पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाएगा और भारतीय विद्युत नियमों के संबंध में इसके अनुपालन को सत्यापित किया जा सकता है।
   - पृथ्वी से पृथ्वी की स्ट्रिप/कंडक्टर की निरंतरता संबंधित विद्युत उपकरण के पृथ्वी टर्मिनल की जाँच और सत्यापित करेगी।
5. **भार के किसी भी असंतुलन की पहचान।** विद्युत अधिष्ठापन अर्थात ट्रांसफॉर्मर, एलटी पैनल, इमरजेंसी पैनल, फ्लोर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आदि में असंतुलित/ओवरलोडिंग यदि कोई हो की पहचान मापने के उपकरण की मदद से की जायेगी।
6. **थर्मल कैमरा का उपयोग करते हुए हॉटस्पॉट की पहचान**: थर्मल इमेजिंग/थर्मोग्राफी की मदद से विद्युत अधिष्ठापन पैनलों और वितरण बोर्डों में हॉट स्पॉट, यदि कोई हो, की पहचान की जाएगी।
7. **बिजली की आपूर्ति प्रणालियों और वायरिंग के स्रोतों का भौतिक निरीक्षण** लागू भारतीय मानकों, भारतीय विद्युत नियमों और प्रथाओं के अन्य प्रासंगिक कोड के संदर्भ में किया जाएगा।
8. बिजली के खतरों की पहचान जैसे कि ढीले तार लटकाना, केबल ठीक से न लगाना, टूटे स्विच, प्लग और सॉकेट आदि से की जायेगी।
9. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्विचगियर्स और उनकी सेटिंग्स में सुरक्षा उपकरणों की जांच करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त मौजूदा मानक ग्रेड की आवश्यकतानुसार डिज़ाइन के रोंप में वांछित क्रमबद्ध तरीके से हैं जिनमें ईएलसीबी की सेटिंग/पर्याप्तता और पृथ्वी लीकेज संरक्षण के लिए उनकी रेटिंग शामिल हैं।
10. विद्युत उपकरण और सबस्टेशन के नजदीक हिंदी और स्थानीय भाषा में बिजली के झटके पर उपचार चार्ट के प्रावधान की जाँच।

11. विद्युत अधिष्ठापन के प्रमुख स्थान पर वोल्टेज को दर्शाने वाले खतरे के संकेत बोर्ड के प्रावधान की जाँच।
12. फेज़ और पृथ्वी फॉल्ट से बचने के लिए विभिन्न पैनल और वितरण बोर्डों पर केबल समाप्ति की जाँच।
13. सभी रोटेटिंग विद्युत उपकरणों के लिए सुरक्षात्मक गार्ड और बेल्ट कवर के प्रावधान की जाँच।
14. सभी विद्युत अधिष्ठापन के नजदीक अग्निशमन उपकरण और फायर अलार्म सिस्टम डिटेक्टर के प्रावधान की जांच। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विद्युत सबस्टेशन और बिजली के पैनल स्थानों के नजदीक फ्री फ्लोइंग सेंड से भरी फायर बकेट और डीसीपी/सीओ 2 अग्निशामक प्रदान की जाए।
15. यह सत्यापित करना कि विद्युत अधिष्ठापन कार्य में लगे सभी कामगारों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) अर्थात् विद्युत रोधक दस्ताने, सुरक्षा जूते और विद्युत रोधक उपकरण आदि प्रदान किए गए हैं, और उक्त का उपयोग किया जा रहा है। इन उपकरणों को समय-समय पर उनके उचित कामकाज के लिए जांचा जाना चाहिए।
16. फ़र्स्ट एड बॉक्सों और समय-समय पर समय सीमा समाप्त दवाओं के प्रतिस्थापन का सत्यापन प्रावधान।
17. सभी विद्युत पैनलों के सामने आईएसआई मार्क के विद्युत रोधक मैट के प्रावधान की जांच करना।
18. अनुरक्षण कार्य के लिए उचित ऊंचाई, मजबूत और उचित रूप से विद्युत रोधक सीढ़ी का प्रावधान और इसके उपयोग की जांच करना।
19. सबस्टेशन, ट्रांसफॉर्मर रूम, इलेक्ट्रिकल पैनल रूम और बैटरी रूम आदि के उचित वेंटिलेशन के प्रावधान की जांच करना।
20. उपरोक्त के अतितरिक्त, मौजूदा विद्युत प्रणालियों में किसी भी कमी की जाँच करना जो मानव और अग्नि सुरक्षा पर प्रभाव डालते हैं।

घ: उपकरण/मापन उपकरण

विद्युत सुरक्षा परीक्षण करने के लिए अपेक्षित सभी उपकरणों को फर्म द्वारा बैंक को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के व्यवस्थित करना होगा। फर्म के पास विद्युत सुरक्षा परीक्षण के लिए निम्नलिखित न्यूनतम उपकरण होने चाहिए:

- थ्री–फेज़ पॉवर एनेलाइज़र
- थर्मोग्राफी कैमरा
- अर्थ टेस्टर
- मेगर
- कोई अन्य उपकरण

कृपया ध्यान दें कि बैंक मेन/मैटेरियल के रूप में किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेगा और फर्म को सभी सहायता के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

ड. साइट पर कार्य

फर्म परिसर का दौरा कर सकती है और साइट की स्थिति का पता लगा सकती है। कार्य को निवासी को असुविधा के बिना अधिकारी के रिहायशी क्वार्टरों में करना पड़ता है। पावर शट डाउन दिन के दौरान (1800 बजे तक) ही प्रदान किया जाएगा। कार्य हेतु अपेक्षित पावर शट डाउन अवकाश पर और 1800 बजे के बाद बैंक के विवेक पर दिया जाएगा। इन आधारों पर बाद में कोई अतिरिक्त दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

फर्म को केवल योग्य और अनुभवी इंजीनियरों/तकनीशियन को तैनात करना चाहिए, जिनके पास इस तरह के कार्यों को करने के लिए आवश्यक लाइसेंस हैं। व्यक्तियों और संपत्तियों को कोई नुकसान न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य को पूरा करने के लिए फर्म द्वारा अत्यंत सावधानी बरती जाएगी। बैंक व्यक्तियों को किसी भी चोट या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और यह पूरी तरह से फर्म की जिम्मेदारी होगी। विद्युत सुरक्षा परीक्षण करने वाले व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्मिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करेंगे।

च: रिपोर्ट की प्रस्तुति

नई दिल्ली में बैंक के अधिकारियों के रिहायशी क्वार्टरों में विद्युत अधिष्ठापन और वायरिंग के परीक्षण के पूरा होने के बाद, परीक्षण के बाद समीक्षा बैठक बैंक के अधिकारियों के साथ आयोजित की जाएगी जिसमें उनकी टिप्पणियों के बारे में विवरण होगा। रिपोर्ट में सुरक्षा परीक्षण के दौरान टीम द्वारा देखे गए पूरे विद्युत अधिष्ठापन की स्थिति शामिल होगी। रिपोर्ट में विद्युत अधिष्ठापन में सुधार के लिए टीम की अनुशंसा भी शामिल होंगी।

दिनाक:

स्थान: एजेंसी की मुहर एवं हस्ताक्षर

भाग V

I. **महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न:**

ठेकेदार/एजेंसी पूरी तरह से महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधान के पूर्ण अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगी।

क. बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी और द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी, और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत से संबंधित उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

ख. बैंक के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से लैंगिक उत्पीड़न की कोई भी शिकायत बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

ग. ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए ज़िम्मेदार होगा जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों को भुगतान करना आवश्यक, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा लैंगिक उल्लंघन साबित होता है।

घ. ठेकेदार कार्यस्थल लैंगिक उत्पीड़न और इससे संबंधित मुद्दों पर प्रतिषेध के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

II. **कामगार को न्यूनतम मजदूरी**: ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि न्यूनतम मजदूरी सांविधिक आवश्यकतानुसार यानी केंद्रीय श्रम आयुक्त की दरों (सी.एल.सी) की दरों के अनुसार सभी श्रमिकों को भुगतान की जाए। कार्य निष्पादन की अवधि और बाद में वारंटी और एएमसी अवधि के दौरान बैंक को जमा करने के लिए हर महीने उस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

III. **श्रमिक लाइसेंस:** ठेकेदार अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के विभिन्न प्रावधानों का पालन करेगा और सभी सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

IV. **अपरिहार्य घटना की शर्तें (पूर्णता अवधि के चलन के दौरान लागू और तत्पश्चात प्रतिबद्ध डीएलपी)**

कोई भी पक्ष किसी अप्रत्याशित घटना के कारण हुई किसी भी प्रकार की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो कि उनके नियंत्रण से परे हो यद्यपि पक्ष द्वारा ऐसी किसी असफलता को टालने के लिए पूर्ण प्रयास किया गया हो ऐसी असफलताओं में शामिल हैं, लेकिन केवल इन्हीं घटनाओं तक उपरोक्त सीमित नहीं है, एक्ट ऑफ़ गॉड, युद्ध, दंगें, घाटबंधी, हड़ताल, बंदी, किसी सरकारी प्राधिकरण का कोई कृत्य, अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने में विलम्ब अथवा आवेदन पत्र स्वीकार न होना, अग्नि अथवा बाढ़।

V. **कार्य एवं डीएलपी के निष्पादन के दौरान अप्रकटीकरण और क्षतिपूर्ति खंड**

ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी, सामग्री और बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणाली/उपकरणों आदि का प्रकटन नहीं करेगा, जो किसी तृतीय पक्ष को करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के पेशे या ज्ञान में आ सकता है और हर समय उक्त को पूरी तरह से गोपनीय रखेगा।

ठेकेदार अनुबंध के विवरण को इसके अन्तर्गत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा के अतिरिक्त निजी और गोपनीय मानेंगे। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या अन्य जगहों पर कार्यों के विवरण को प्रकाशित, प्रकटन करने की अनुमति नहीं देता है।

ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता द्वारा किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता से क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त निरीक्षण करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता को नुकसान का दावा करने और कानूनी उपायों अपनाने का हकदार होगा।

ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी के अप्रकटीकरण के दायित्वों को पूरी तरह से संतुष्ट किया गया है। अप्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व इस करार की समाप्ति या समय-सीमा समाप्त होने पर किसी भी कारण हेतु बने रहेंगे।

स्थान:

दिनांक: निविदाकर्ता की मुहर एवं हस्ताक्षर

राष्ट्रीय आवास बैंक

संपदा विभाग

नई दिल्ली

नई दिल्ली में बैंक के अधिकारियों के रिहायशी क्वार्टरों में विद्युत अधिष्ठापन एवं वायरिंग का परीक्षण करने हेतु निविदा

भाग II (बोली

मूल्य)

निविदाकर्ता का नाम: ____________________

पता: ____________________

____

बोली पूर्व बैठक तिथि	**: 11.00 प्रात: मई २६, २०२१**
प्रस्तुत करने की तिथि	**: दिनांक 01 जून, 2021 को 18.00 बजे निविदा**
के भाग I के खुलने की तिथि	**: दिनांक 02 जून, 2021 को 15.00 बजे**
स्थल	: परिसर विभाग **राष्ट्रीय आवास बैंक नई दिल्ली**

राष्ट्रीय आवास बैंक

संपदा विभाग

नई दिल्ली

<u>मात्रात्मक बिल</u>

नई दिल्ली में बैंक के अधिकारियों के रिहायशी क्वार्टरों में विद्युत अधिष्ठापन एवं वायरिंग का परीक्षण करने हेतु निविदा

क्र. सं.	**विवरण**	**मात्रा**	**कर रहित दर (रु.)**	**लागू कर (रु.)**	**कुल दर = (4)+(5) (रु.)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	नई दिल्ली में बैंक के अधिकारियों के रिहायशी क्वार्टरों में विद्युत अधिष्ठापन और वायरिंग का परीक्षण और निविदा भाग-1 में विनिर्दिष्ट कार्य-क्षेत्र के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट (3 प्रतियां) प्रस्तुत करने करने हेतु दर। दर में जीएसटी आदि का शामिल होना चाहिए।	एल.एस.			

दिनांक: एजेंसी की मुहर एवं हस्ताक्षर

स्थान: